Date - 13 May 2022

कॉलेजियम प्रणाली

- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में पांच नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है।

कॉलेजियम प्रणाली और इसका विकास:

- यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रणाली है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित नहीं है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास:

फर्स्ट जज केस **(1981):**

- यह निर्धारित करता है कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के सुझाव के "सिद्धांत" को "पर्याप्त कारणों" से खारिज किया जा सकता है।
- इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित की है।

सेकंड जज केस **(1993):**

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि "परामर्श" का वास्तव में अर्थ "सहमति" है।
- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम जजों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।

थर्ड जज केस **(1998):**

Yojna IAS

- राष्ट्रपति द्वारा जारी एक राष्ट्रपति के संदर्भ के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम को पांच सदस्यीय निकाय के रूप में विस्तारित किया जिसमें CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल थे।

कॉलेजियम सिस्टम के प्रमुख:

- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता सीजेआई करते हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं।
- उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।
- उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित नाम सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी के बाद ही सरकार तक पहुंचते हैं।
- उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है और इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका कॉलेजियम के मनोनीत होने के बाद ही होती है।

विभिन्न न्यायिक नियुक्तियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया:

भारत के मुख्य न्यायाधीश **(CJI):**

- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- निवर्तमान CJI अगले CJI के संदर्भ में अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करता है।
- हालांकि, 1970 के दशक के उल्लंघन विवाद के बाद से, व्यावहारिक रूप से वरिष्ठता का पालन किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश:

- सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के लिए नामों के चयन का प्रस्ताव CJI द्वारा शुरू किया जाता है।
- CJI कॉलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श करता है, जिसके लिए न्यायाधीश के पद के लिए सिफारिश की गई व्यक्ति संबंधित है।
- परामर्शदाताओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिखित रूप में अपनी राय प्रस्तुत करनी होती है और इसे फाइल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
- इसके बाद कॉलेजियम अपनी सिफारिश केंद्रीय कानून मंत्री को भेजता है, जिसके माध्यम से इसे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है|

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए:

- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस आधार पर की जाती है कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य से नहीं बल्कि किसी अन्य राज्य से होगा।
- हालांकि चयन का निर्णय कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है जिसमें CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं।

Yojna IAS

- तथापि, इसके लिए प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श के बाद पेश किया जाता है।
- यह सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो राज्यपाल को इस प्रस्ताव को केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने की सलाह देते हैं।

कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना:

- स्पष्टता और पारदर्शिता का अभाव।
- भाई-भतीजावाद जैसी विसंगतियों की संभावना।
- सार्वजनिक विवादों में लिप्त होना।
- कई प्रतिभाशाली कनिष्ठ न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की अनदेखी की गई।

भर्ती व्यवस्था में सुधार के प्रयास

- इसे बदलने के लिए 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (99वें संशोधन अधिनियम, 2014 के माध्यम से) के एक प्रयास को न्यायालय ने 2015 में इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस (11 मई) पर प्रधान मंत्री ने वैज्ञानिकों और उनके "प्रयासों" के लिए "आभार" व्यक्त किया, जिनके प्रयासों के परिणामस्वरूप 'वर्ष 1998 में पोखरण का सफल परीक्षण' हुआ।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में:

- यह दिन पहली बार 11 मई 1999 को मनाया गया था, इसका उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों को याद करना है। इस दिन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था।
- हर साल भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय) भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करके इस दिन को मनाता है।
- इस वर्ष का फोकस 'सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण' है।

महत्त्व:

- आज ही के दिन भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया था।

Yojna IAS

- राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण परीक्षण रेंज में परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया गया। मई 1974 में पोखरण-I के ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद आयोजित यह दूसरा परीक्षण था।
- भारत ने पोखरण-द्वितीय नामक एक ऑपरेशन में अपनी शक्ति-1 परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसे ऑपरेशन शक्ति के रूप में जाना जाता है, जिसका नेतृत्व तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था।
- उसी दिन भारत ने त्रिशूल मिसाइल (छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल) का सफल परीक्षण किया और पहले स्वदेशी विमान 'हंसा-3' का परीक्षण किया।

शौर्य चक्र: वीरता पुरस्कार

- हाल ही में राष्ट्रपति ने रक्षा सजावट समारोह (चरण-1) में भारतीय सेना के 13 सैनिकों को देश के तीसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, शौर्य चक्र से सम्मानित किया, जिनमें से 6 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है।
- इसके साथ ही राष्ट्रपति ने असाधारण सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल भी प्रदान किए।

भारत में वीरता पुरस्कार:

- स्वतंत्रता के बाद, 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा पहले तीन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र शुरू किए गए, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया।
- इसके बाद अन्य तीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र श्रेणी- I, अशोक चक्र श्रेणी- II और अशोक चक्र श्रेणी- III भारत सरकार द्वारा 04 जनवरी 1952 को शुरू किए गए थे, जिन्हें 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी माना गया था।
- जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया।
- इन पुरस्कारों की प्राथमिकता का क्रम है- परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र।

पुरस्कार के लिए पात्रता:

- सेना, नौसेना और वायु सेना या किसी भी रिजर्व बल, प्रादेशिक सेना और कानूनी रूप से गठित किसी भी अन्य सशस्त्र बल के सभी रैंक के सभी अधिकारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं।
- मैट्रॉन, नर्स, नर्सिंग सेवाओं के कर्मचारी और अस्पतालों और नर्सिंग सेवाओं से जुड़े अन्य कर्मचारी और उपरोक्त कर्मियों के अलावा नागरिक (पुरुष और महिला दोनों) जो उपरोक्त किसी भी बल के आदेश, निर्देश या पर्यवेक्षण के अधीन हैं, नियमित रूप से या अस्थायी आधार इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं।

Yojna IAS

सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार:

परम वीर चक्र:

- यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो युद्ध के दौरान (चाहे जमीन पर, समुद्र में या हवा में) अद्वितीय साहस और असाधारण वीरता के कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है।

महावीर चक्र:

- यह जमीन पर, समुद्र में या हवा में दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिए दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है।

वीर चक्र:

- परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद यह देश का तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है।

सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार:

अशोक चक्र:

- यह शांतिकाल के दौरान वीरता, साहसी कार्रवाई या बलिदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है।
- यह शांति काल में विशिष्ट वीरता या साहस या वीरता या आत्म-बलिदान के किसी अन्य कार्य के लिए दिया जाता है।

कीर्ति चक्र:

- यह दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है और शांति काल में साहसी कार्य या आत्म-बलिदान के लिए दिया जाता है।

शौर्य चक्र:

- यह असाधारण वीरता के लिए सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रदान किया जाता है।

Yojna IAS

Swadeep Kumar

Yojna IAS